प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2017 को आयोजित नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही ।

<u>उपस्थिति</u> :– पंजी के अनुसार ।

1. <u>SPUR FUND द्वारा संचालित योजना</u> :–

सम्बन्धित नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि SPUR से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 09.03.2017 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा शेष राशि वापस कर दें ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

2. <u>स्वच्छ भारत मिशन (SBM)</u> :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शौचालय निर्माण कार्य की गति कुछ नगर निकायों में अभी भी संतोषजनक नहीं है । पटना नगर निगम का प्रदर्शन तो सबसे खराब है । प्रधान सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि चूँकि शौचालय निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है बल्कि पूरे नगर निकाय क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त (ODF) कराना सरकार का लक्ष्य है, इसलिए सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि हर हालत में वर्ष 2017–18 में उनका निकाय खुले में शौच से मुक्त घोषित हो जाय । ODF के लिए सभी प्रोटोकॉल को follow करना है एवं इसके पश्चात् विभाग एवं QCI को भेजना है । Public एवं Community Toilet के मामले में भी फोटो खींचकर Portal पर भेजना है अन्यथा ODF नहीं माना जायेगा । सभी Individual toilet की प्रविष्टि भी Online Portal में होना चाहिए ।

SBM योजना के अन्तर्गत ICICI बैंक का सहयोग शौचालय निर्माण के लिए आवेदन प्राप्त करने से लेकर पूर्ण करने तथा Portal पर Online करने तक लिया जाए । साथ ही इस योजना के तहत सभी भुगतान PFMS के माध्यम से ही किया जाए ।

कुछ नगर निकायों द्वारा सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी । उन्हें जमीन की समस्या के समाधान हेतु सम्बन्धित जिले के जिला पदाधिकारी से वार्ता करने का निदेश दिया गया ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ की अध्यक्षता में गठित कमिटी को संशोधित रिपोर्ट शीघ्र देने का निदेश दिया गया ।

समीक्षा के क्रम में बगहा नगर परिषद में शौचालय निर्माण कार्य की स्थिति बहुत ही खराब पायी गयी । कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक बैठक में कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया जाता है, परन्तु उनके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अतः उनसे कारण पृच्छा पूछने का निर्देश दिया गया ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ 04 वार्डों में Waste to Compost का कार्य चल रहा है ।

SWM के अन्तर्गत Waste to Compost के सम्बन्ध में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना है । प्रभारी पदाधिकारी मार्गदर्शिका को देखकर अवगत करायें ।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

3. **AMRUT योजना** :–

समीक्षा के क्रम में डेहरी–डालमियानगर नगर परिषद को पार्क विकास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें इस मद में आवंटित राशि शीघ्र वापस करने का निदेश दिया गया ।

समीक्षा के क्रम में AMRUT योजना से सम्बन्धित कुछ नगर निकायों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा SAAP-2 से सम्बन्धित पार्क विकास योजना का DPR विभाग को भेजा गया है, परन्तु यह विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं है । AMRUT योजना के नोडल पदाधिकारी इसकी जॉच कर लें ।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया गया कि वे नगर निकायों से प्राप्त होने वाले सभी DPR के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रविष्टि हेतु e-Office में एक प्रोग्राम विकसित करें ताकि विभाग जब भी किसी नगर निकाय के DPR के सम्बन्ध में जानकारी चाहे तो तुरन्त प्राप्त हो जाए ।

AMRUT योजना का एक महत्वपूर्ण Part है Credit rating करना, जिसके लिए सभी AMRUT नगर निकायों को राशि भी आवंटित की गयी है । इसके लिए कम्पनी का चयन किया गया है । अतः सभी सम्बन्धित निकाय चयनित कम्पनी से Credit rating कराना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

4. **DAY-NULM** :–

विभागीय पत्रांक 456 दिनांक 16.02.2017 द्वारा DAY-NULM योजना के अन्तर्गत असंतोषजनक प्रगति के सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर निकायों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित करते हुए कुछ सूचनाओं की मॉग की गयी थी । समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जानकारी नगर निकायों से प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः सम्बन्धित नगर निकायों को निदेश दिया गया कि उक्त पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए वांछित सूचनाएँ शीघ्र भेज दें ।

SUH घटक के अन्तर्गत बिहारशरीफ, अरवल, हाजीपुर, सुपौल, नवादा, बक्सर, दरभंगा, आरा, गया, शेखपुरा, सासाराम एवं छपरा नगर निकायों के द्वारा शहरी निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । इन्हें निदेशित किया गया कि आश्रय स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए इस माह के अन्त तक SHGs के ALO के माध्यम से मार्गदर्शिका के अनुरूप आश्रय स्थलों का परिचालन एवं प्रबन्धन सुनिश्चित कराया जाए ।

बैठक में जमुई एवं भागलपुर नगर निकाय ने 01 मई (मजदूर दिवस) तक आश्रय स्थलों का परिचालन एवं प्रबन्धन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में आश्वस्त किया ।

समीक्षा में खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, शिवहर, पटना, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भभुआ एवं बॉका नगर निकायों की प्रगति काफी धीमी पायी गयी । इन्हें कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने का निदेश दिया गया ।

मोतिहारी, बेगूसराय, औरंगाबाद, सिवान एवं गोपालगंज नगर निकायों द्वारा आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु अबतक भूमि का चयन नहीं किया जा सका है । इन्हें निदेश दिया गया कि इस कार्य हेतु आवंटित राशि विभाग को शीघ्र वापस कर दें ।

सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में निर्धारित विभागीय समीक्षा बैठक के पूर्व DAY-NULM योजना का मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग/PMC-NULM को अवश्य उपलब्ध करा दें । साथ ही इसकी प्रविष्टि DAY-NULM MIS Portal पर भी कराना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

5. **Housing for All** :–

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत नगर निकायों की प्रगति अभी भी संतोषजनक नहीं है । निर्देश दिया गया कि नगर निकाय 75% लाभुकों को कार्यादेश निर्गत करें अन्यथा उन्हें द्वितीय किस्त की राशि विभाग द्वारा विमुक्त नहीं की जायेगी ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

6. **RAY** :–

पिछली बैठक में समीक्षा के दौरान पटना, कटिहार, दरभंगा एवं गया में RAY योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण की प्रगति काफी धीमी पाये जाने के कारण निर्देश दिया गया था कि कार्यों में तेजी लाकर यथाशीघ्र इनका कार्य पूर्ण करायें । आज की समीक्षा में यह पाया गया कि पटना एवं दरभंगा की प्रगति अभी भी काफी खराब है । नगर आयुक्त, पटना नगर निगम बैठक में उपस्थित नहीं थे । उनकी ओर से श्रीमती आरती कुमारी, भू–सम्पदा पदाधिकारी, पटना नगर निगम उपस्थित थीं जिन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी का अभाव था । इन्हें पुनः कार्यों में तेजी लाकर योजना पूर्ण कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/बुडको)

7. **IHSDP** :–

सभी सम्बन्धित नगर निकायों को यह ज्ञात है कि हर हालत में इस योजना के तहत कार्यान्वित हो रहे आवासों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण कर लेना है, बावजूद इसके समीक्षा के क्रम में आवासों के निर्माण कार्य की प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं पायी गयी । अतः निर्देश दिया गया कि Non-starter DU को छोड़कर निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर हर हालत में पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें ।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

8. <u>मुख्यमंत्री हर घर नल जल निश्चय योजना</u> :–

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नगर निकायों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अभी भी निविदा निष्पादन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की गयी है । निदेश दिया गया कि चूँकि यह योजना माननीय मुख्य मंत्री के सात निश्चय योजनओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए शीघ्र निविदा निष्पादन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायें ।

विभाग के स्तर पर इस सम्बन्ध में आयोजित कार्यशाला में निकाय कर्मियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

9. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नगर निकायों के पास अभी भी 13वें एवं 14वें वित्त आयोग एवं 04थे राज्य वित्त आयोग की राशि अव्यवहृत पड़ी हुई है । उन्हें निर्देश दिया गया कि मार्च, 2017 तक राशि का व्यय कर UC भेजें अन्यथा विभाग को राशि वापस कर दें ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

10. समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि नगर निकायों को प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन एवं सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है जिसके कारण आवंटित राशि अव्यवहृत पड़ी हुई है । अतः निर्देश दिया गया कि जिन नगर निकायों को भूमि उपलब्ध नहीं है, वे इस मद में आवंटित राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दें ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

11. दिनांक 07.02.2017 को बैठक में Outfall drain के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी तथा विभागीय ज्ञापांक 959 दिनांक 13.02.2017 द्वारा बैठक की कार्यवाही निर्गत करते हुए दिये गये निर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा की गयी थी । आज की बैठक में समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है । पुनः सभी सम्बन्धित को निदेश दिया गया कि शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाए ।

(अनुपालन–सम्बन्धित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

12. भभुआ में कार्यपालक अभियन्ता, डुडा का पद रिक्त है एवं सीतामढ़ी के कार्यपालक अभियन्ता सेवानिवृत हो चुके हैं । DMA को शीघ्र पदस्थापन की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

8/3/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1900 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 08/3/17

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

8/3/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1900 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 08/3/17

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/3/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1900 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 08/3/17

प्रतिलिपि : सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/3/2017

प्रधान सचिव